

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 28 / 2022  
दायर दिनांक : 22 / 04 / 2022  
निर्णय दिनांक : 25 / 05 / 2022

उनवान

1. अशोक कुमार पिता नारायणलाल सहलोत निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. डालू पुत्र भूरा खारोल निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. उगमदेवी पत्नी मदनलाल गर्ग निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3. मीनादेवी पत्नी महेश जोशी निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

**: निर्णय :**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, बार-बार आवाजे लगाने पर भी उपस्थित नहीं आये अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा आकोला की आ.सं. 5347 रकबा 0.04 है., आ.सं. 7585/5346 रकबा 0.21 है., आ.सं. 5359 रकबा 0.27 हैक्टियर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(भावना सिंह)

सहायक कलेक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ (राज.)

